


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग जिला डीग

क्र म	<p>प्रीति वर्मा वगैरे बनाम अजय राजोरिया वगैरे हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
रमा	<p>किस्म:- अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,</p>	<p>नम्बर 52</p>

ख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
---------	---	--

7.2025	<p>सायलान के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायलान के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायलान के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैर सायलान इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1628/0.52, 1629/0.39, वाके ग्राम शीशवाडा तहसील जनूथर जिला डीग में स्थित आराजीयात पर मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान संख्या 01 लगायत 08 को आगामी आदेश तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जावे।</p> <p>यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>आयन्दा पत्रावाली वास्ते तलबी गैर सायलान रजिस्टर्ड ए.डी. कराई जाकर दिनांक 09.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (देवी सिंह) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डीग </p>	<p>प्रीती</p> <p>Jyoti</p> <p>Aishwarya kumar</p> <p>Identified by</p> <p>18/28</p>
--------	--	---

01/09/25 आज पर प्रस्तावके खसराओं के
 एक पत्र पर नकल की गयी। प्र
 पत्र जारी कर के कार्या पर अज
 एक डेटे का निस्तारण किया जा
 हुआ है। ये की स्थिति में इस
 प्र पत्र के अन्तर्गत किया
 जाया है। प्रस्ताव के अन्तर्गत
 से एक लेा है

सहायक कलक्टर (FT)
 डीग जिला डीग(राज0)